

AG

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

नीतासीन अधिकारी-

अमानुल्लाह खान,
आर.ए.एस.

मिसल संख्या
73/अपील/18

तारीख दायरा
03.07.2018

तारीख फैसला
20.10.2021

श्री बृजराज आ० बट्टी जाति मीणा निवासी ग्राम जगदीशपुरा तहसील
नैनवा जिला बून्दी।

-अपीलान्ट

बनाम

1. श्री गंगाधर आ० बट्टी जाति मीणा निवासी ग्राम जगदीशपुरा तहसील
नैनवा जिला बून्दी।
2. श्री रामकंवरी पत्नी स्व० बट्टी जाति मीणा निवासी ग्राम जगदीशपुरा
तहसील नैनवा जिला बून्दी।
3. श्री समोदरा पुत्री बट्टी पत्नी रामस्वरूप जाति मीणा निवासी रमतलाई
के पास समीधी तहसील नैनवा जिला बून्दी।
4. श्री सरमा बाई पुत्री बट्टी पत्नी आशाराम जाति मीणा निवासी धरोला
तहसील उनियारा जिला टोंक।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नैनवा जिला बून्दी।

-रेस्पोडेन्ड

उपस्थित-

अपीलान्ट की ओर से - श्री महेन्द्र शर्मा एड०
रेस्पो० संख्या 1 लगायत 4 की ओर से - श्री सुरेन्द्र नाराणीववाल एड०
रेस्पो० संख्या 5 की ओर से - परोकार सरकार

निर्णय

यह अपील तहसीलदार नैनवा द्वारा तस्दीकशुद्धा नामान्तरकरण संख्या 549 दिनांक
30.06.2017 से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 इस
न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन नामान्तरकरण में अंकित कृषि भूमि वाके ग्राम
जगदीशपुरा मृतक खातेदार बट्टी के स्थान पर अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ड संख्या 1 लगायत 4
का नाम दर्ज किया गया है। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो० तथा
अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

बहस उभयपक्ष समाप्त की गई।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित
नामान्तरकरण संख्या में अंकित कृषि भूमि वाके ग्राम जगदीशपुरा में विस्थित हैं। खातेदार
बट्टी की मृत्यु के उपरांत अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ड संख्या 1 लगायत 4 के नाम से विधि
विरुद्ध नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ड अनुसूचित जनजाति
के सदस्य हैं जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है यह पुराने हिन्दू

सत होते हैं जिसके मुताबिक पुत्रों के जीवित रहते हुये पुत्रियों को उत्तराधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। रेस्पोजेन्ड संख्या 3 व 4 का नाम नामान्तरकरण आदेशिका में दर्ज हो जाने का फायदा उठा कर रेस्पोजेन्ड क्रम संख्या 1 रेस्पोजेन्ड संख्या 3 व 4 से उनके हिस्से में निहित भूमि को अपने नाम दर्ज करवा कर अपीलांट को उसके विधिक अधिकारों से वंचित करने पर आमादा हैं। अपीलांट एक अशिक्षित व्यक्ति हैं, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरकरण की जानकारी अपीलांट को दिनांक 14.05.2018 को पटवारी हल्का से संपर्क करने पर हुई। अपीलांट द्वारा जानकारी प्राप्त होते ही जमाबंदी की नकल प्राप्त कर नामान्तरकरण आदेश हेतु तहसीलदार नैनवा के यहां नकल प्रार्थना पत्र पेश किया। नकल प्राप्त होने पर ज्ञान की तिथि से अपील अंतर्गत अवधि मध्य प्रस्तुत हैं यदि अपील को पेश करने में विलम्ब माना जाता हैं तो अपील के साथ धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र अपील के साथ पृथक से प्रस्तुत हैं। विलम्ब को क्षम्य किया जावे। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार नैनवा द्वारा पारित नामान्तरकरण आदेश दिनांक 30.06.2017 खारिज किया जावे। वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 2002 पेज 23, आरआरडी 2006 पेज 577, आरबीजे 2006 पेज 796 की नजीरें एवं राजस्थान टीनेंसी एक्ट की धारा 40 के उदरण प्रस्तुत किये।


वकील रेस्पोजेन्ड संख्या 1 लगायत 4 ने बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपील अवधि बाधित प्रस्तुत की गई हैं जिसे मियाद के बिन्दु के आधार पर अवधि बाधित मान कर खारिज किया जाना चाहिए। अवधि के संबंध में अपीलांट द्वारा कोई समुचित तथ्य प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित नहीं किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित प्रक्रिया अपनाकर नामान्तरकरण आदेश पारित किया गया हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को निर्णित किया जाना उचित समझते हैं, जहां अपील में पक्षकारान के सारभूत तथ्य निहित हो वहां अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 स्वीकार किया जाकर गुजरी अवधि को मुजरा किया जाता है। हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य प्रकट हैं कि अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश दिनांक 30.06.2017 से मृतक बंदी के स्थान पर अपीलांट व रेस्पोजेन्ड संख्या 1 लगायत 4 का नाम अंकित किया गया हैं। अपीलांट का मुख्य तर्क यह हैं कि अपीलांट व रेस्पोजेन्ड अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से शासित नहीं होकर पुराने हिन्दू लॉ से शासित होते हैं। पुराने हिन्दू लॉ में पुत्रों के जीवित रहते हुये पुत्रियों को कोई वैधानिक अधिकार संपत्ति पर प्राप्त नहीं होते हैं। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत तर्क से सहमत होते हुये इस संबंध में प्रकरण का पुनः परीक्षण अधीनस्थ न्यायालय से करवाया जाना उचित समझते हैं।

अतएव: परिणामस्वरूप अपील सारवान पाए जाने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2017 को निरस्त किया जाता हैं साथ ही प्रकरण को इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मृतक बंदी के सभी विधिक वारिसान को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये संपूर्ण विधिक जांच कर नये सिरे से अपना निर्णय पारित करे।

AG
3

कसलें में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की
लो मय निर्णय प्रति के भिजवाई जावें।
निर्णय आज दिनांक 20.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अमानुल्लाह खान)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बूंदी